आदेश-पत्रक

(देखे अभिलेख हस्तक; 1941 का नियम 139)

आदेश पत्रक ता0 .... तक

वाद सं0-71/2021

केस का प्रकार - अपराध नियंत्रण अधिनियम 1981 की धारा 3 के अन्तर्गत।

आदेश की सं0 और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी और तारीख
27.09.2021	**पुलिस अधीक्षक, पूर्णिया के पत्रांक 6224/सी0आर0, दिनांक 24.09.2021** द्वारा (संलग्न **अनुमण्डल पुलिस पदाधिकारी, बनमनखी** के **पत्रांक 907 दिनांक 18.09.2021**) अपराध नियंत्रण अधिनियम 1981 की धारा 3 के अन्तर्गत प्राप्त प्रस्ताव का अवलोकन किया। उक्त प्रतिवेदन में उल्लेखित है कि अपराधकर्मी **अमरेन्द्र यादव, पिता किशोर यादव, सा0-बेलतरी, थाना-जानकीरनगर, जिला-पूर्णिया** एक कुख्यात एवं आदतन अपराधकर्मी है तथा इसका एक संगठित गिरोह है। वर्तमान में ये जेल से बाहर हैं। इसकी गतिविधि काफी संदिग्ध है। वर्त्तमान में इनका क्रियाकलाप बहुत ही संदिग्ध है। जिसके फलस्वरूप आगामी **पंचायत चुनाव 2021** के अवसर पर शांति व्यवस्था भंग होने की प्रबल संभावना है। **इसका अपराधिक इतिहास निम्न प्रकार है :-** **1. जानकीनगर थाना कांड संख्या-105/2015 दिनांक-26.08.2015, धारा-25(1-बी)ए/26/35 आर्म्स एक्ट।** **2. जानकीनगर थाना कांड संख्या-23/2018 दिनांक-22.02.2018, धारा-341/323/324/307/386/379/504/भा0द0वि0।** **3. जानकीनगर थाना कांड संख्या-25/2018 दिनांक-23.02.2018, धारा-302/120बी भा0द0वि0 एवं 27 आर्म्स एक्ट।** **4. बनमनखी थाना कांड संख्या-28/2018 दिनांक-19.02.2018, धारा-392भा0द0वि0।** **5. जानकीनगर थाना सनहा संख्या-862 दिनांक-29.08.2021।** **6. जानकीनगर थाना सनहा संख्या-375 दिनांक-11.04.2021।** **अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक, पूर्णिया** द्वारा इस अपराधकर्मी के गतिविधियों पर नियंत्रण के लिए अपराध नियंत्रण अधिनियम 1981 की धारा 3 के तहत कार्रवाई करने के लिए अनुशंसा किया गया है।	

इस अधिनियम के तहत् कार्रवाई का प्रस्ताव दिनांक 25.09.21 को संध्या में प्राप्त कराया गया है। इस अधिनियम की धारा 3 के तहत् कार्रवाई का आदेश पारित करने के पूर्व विपक्षी को नोटिस तामिला कराकर उन्हें अपना पक्ष रखने का मौका दिया जाना आवश्यक है। उल्लेखनीय है कि बनमनखी प्रखंड अन्तर्गत दिनांक 29.09.2021 को मतदान तथा दिनांक 01.10.2021/02.10.2021 को मतगणना की तिथि निर्धारित है। ऐसी स्थिति में इतने कम समय में नोटिस का तामिला कराकर विपक्षी का पक्ष सुना जाना संभव प्रतीत नहीं हो रहा है।

चूँकि **थानाध्यक्ष, जानकीनगर / अनुण्डल पुलिस पदाधिकारी, बनमनखी, पूर्णिया एवं पुलिस अधीक्षक, पूर्णिया** द्वारा विपक्षी की गतिविधि संदिग्ध बताई गई है तथा यह भी संभावना व्यक्त की गई है कि **पंचायत निर्वाचन 2021** के अवसर पर उनके द्वारा शांति व्यवस्था भंग की जा सकती है। ऐसी स्थिति में विपक्षी पर निर्वाचन के दौरान निगरानी रखा जाना आवश्यक है।

अतः **थानाध्यक्ष, जानकीनगर** को निदेश दिया जाता है कि **अमरेन्द्र यादव, पिता किशोर यादव, सा0-बेलतरी, थाना-जानकीरनगर, जिला-पूर्णिया** पर **पंचायत निर्वाचन 2021** के दौरान (दिनांक 03.10.2021 तक) निगरानी रखेंगे। यदि इनके द्वारा शांति भंग या अन्य आपराधिक कृत्य किया जाता है, तो दण्ड प्रक्रिया संहिता की सुसंगत धाराओं के तहत् विधि सम्मत कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे।

आदेश की प्रति **अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, बनमनखी तथा पुलिस अधीक्षक, पूर्णिया** को भेजें। साथ ही आदेश की प्रति **जिला जन सम्पर्क पदाधिकारी, पूर्णिया** को भी आम जनता में प्रचार प्रसार हेतु भेजे एवं एक प्रति पूर्णिया जिला के बेबसाईट पर प्रकाशन हेतु **जिला सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी, पूर्णिया** को भेजें।

27.9.21

जिला दण्डाधिकारी,
पूर्णिया।

लेखापित एवं संशोधित।

जिला दण्डाधिकारी,
पूर्णिया।

ज्ञापांक 2383/विधि, दिनांक 29/09/2021

प्रतिलिपि :- थानाध्यक्ष, जानकीनगर को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :- अनु० पुलिस पदा० बनमनखी / जिला जन सम्पर्क पदा० पूर्णियाँ एवं / जिला सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी, पूर्णियाँ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :- पुलिस अधीक्षक, पूर्णियाँ को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

29/9/21

वरीय उपसमाहर्त्ता
जिला विधि शाखा
29.9.21 **पूर्णियाँ**